दिनांक–18.11.2024 को मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 35वीं बैठक की कार्यवाही

मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास आयुक्त, बिहार, महानिदेशक, बिपार्ड/प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रतिनिधि, सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग–सह–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग–सह–प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रतिनिधि, एवं सचिव, विधि विभाग/प्रतिनिधि उपस्थित रहें। बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्यावली बिन्दुः–01

दिनांक–12.12.2023 को आयोजित शासी परिषद की 34वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

कार्यावली बिन्दुः–02

दिनांक–12.12.2023 को आयोजित शासी परिषद की 34वीं बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन संपुष्ट किया गया।

कार्यावली बिन्दुः–03

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट का घटनोत्तर अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यय के आकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹1,75,52,02,108.00 (एक अरब, पचहत्तर करोड़, बावन लाख, दो हजार, एक सौ आठ) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक–3822, दिनांक–21.09.2023 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। इस आलोक में मिशन कार्यालय हेतु कुल ₹1,74,00,00,000.00 (विषय शीर्ष 3104–वेतन मद में ₹1,45,00,00,000.00 तथा सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106–गैर वेतन में ₹29,00,00,000.00) का बजट उपबंध किया गया है।
विगत वित्तीय वर्षों में विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट प्राक्कलन का विवरण निम्नवत हैः–

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट/पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की राशि	बजट उपबन्ध की राशि	प्राप्त सहायक अनुदान की राशि	अब तक किये गये व्यय के उपरान्त अवशेष राशि	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
2021-22	3104-वेतन	1168800000.00	1152000000.00	1152000000.00	अव्ययित राशि वापसी सहित पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	
	3106-गैर वेतन	133000000.00	133000000.00	133000000.00		
	कुल	**1301800000.00**	**1285000000.00**	**1285000000.00**		
2022-23	3104-वेतन	1224341532.00	1224400000.00	1224400000.00	अव्ययित राशि वापसी सहित पूर्ण राशि का	
	3106-गैर वेतन	1507688700.00	150600000.00	150600000.00		

	कुल	**1375110232.00**	**1375000000.00**	**1375000000.00**	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	
2023-24	3104-वेतन	1377380736.00	1377300000.00	1377300000.00	4,48,00,000.00	जिला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई किया जा रहा है।
	3106-गैर वेतन	258080000.00	202400000.00	202400000.00	3,71,60,000.00	
	कुल	**1635460736.00**	**1579700000.00**	**1579700000.00**	**8,19,60,000.00**	
2024-25	3104-वेतन	1458462108.00	1450000000.00	725000000.00	1,69,043.00	कुल बजट उपबंध का 50% राशि ही अभी प्राप्त हुआ है।
	3106-गैर वेतन	296740000.00	290000000.00	145000000.00	11,41,46,670.00	
	कुल	**1755202108.00**	**1740000000.00**	**870000000.00**	**11,43,15,713.00**	

शासी परिषद के अनुमोदन के आलोक में दिनांक–01.01.2024 के प्रभाव से कार्यपालक सहायक, आई.टी. सहायक एवं आई.टी. प्रबंधक के मानदेय में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण विषय शीर्ष 3104–वेतन मद में उपबंधित राशि अपर्याप्त हो गयी है। विषय शीर्ष 3106– गैर वेतन मद में उपबंधित राशि के आधिक्य रहने के कारण इस मद से 10(दस) करोड़ रूपये का पुनर्विलोकन विषय शीर्ष 3104–वेतन मद में कराया गया है। पुनर्विलोकन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिये विषय शीर्ष 3104– वेतन मद में 155.00 करोड़ रुपये जबकि विषय शीर्ष 3106– गैर वेतन मद में 19 करोड़ रूपये का सहायक अनुदान उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹1,75,52,02,108.00 (एक अरब, पचहत्तर करोड़, बावन लाख, दो हजार, एक सौ आठ) के बजट प्राक्कलन एवं तदालोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु उपबंधित कुल राशि ₹1,74,00,00,000.00 (विषय शीर्ष 3104– वेतन मद में ₹1,45,00,00,000.00 तथा सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106– गैर वेतन में ₹29,00,00,000.00) एवं उपर्युक्त वर्णित पुनर्विलोकन पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–04

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष–2022–23 के Audit Report पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं Reform Support Unit (RSUs) का वित्तीय वर्ष–2022–23 का Statutory Audit निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी R.N. MISHRA & Co. द्वारा किया गया है और अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

1. There was no transaction that appear contrary to the rules or byelaws of the Organization.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
3. In our opinion, the Organization has kept proper books of account, so far as appears from our examination of those books.
4. The Balance Sheet, Receipt& Payment Account and Income & Expenditure Account are in agreement with the books of account. Accounts submitted for audit should have significant accounting policies adopted through notes to accounts.

5. The accounts should have been maintained classified and described in accordance with recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements.
6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with Annexure 'A 'of this report give a true and fair view, in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:
   (a) in the case of Balance sheet of the state of affair of the society as at ended 31.03.2023 and.
   (b) in the case of Income & Expenditure Account, of the Excess of Expenditure over Income for the year ended on that date.

Statutory Audit के लिए चयनित एजेंसी R.N. MISHRA & Co. (CA) द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा Reform Support Unit (RSUs) का वित्तीय वर्ष–2022–23 के Statutory Audit Report पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दुः–05</u>

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 4G/5G support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹50000.00 एवं ₹25000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹75000.00 (पचहत्तर हजार) एवं ₹40000.00 (चालीस हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक–10.10.2022 को आयोजित बैठक के कार्यावली बिंदु–5 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारी) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान–प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी.यू.जी. नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु 4G/5G support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट के क्रय पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ₹50000.00 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ₹25000.00 की अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति का निर्णय है। यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन कार्यालय के पत्रांक–2585, दिनांक–28.10.2022 द्वारा परिचारित है।

इन पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा मोबाईल ऐप के माध्यम से योजनाओं के अनुश्रवण का कार्य करने हेतु High Speed इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवत्ता के Storage सुविधा युक्त 4G/5G support वाले मोबाईल सेट की आवश्यकता एवं उसके बाजार मूल्य के दृष्टिगत भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उक्त प्रयोजन के लिए पूर्व की निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि क्रमशः ₹50000.00 एवं ₹25,000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹75000.00 (पचहत्तर हजार) एवं ₹40000.00 (चालीस हजार) किए जाने का प्रस्ताव है। शेष शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 4G/5G support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹50000.00 एवं ₹25000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹75,000.00 (पचहत्तर हजार) एवं ₹40000.00 (चालीस हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दुः–06</u>

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि क्रमशः ₹1,00,000.00 एवं ₹85,000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,25,000.00 (एक लाख पचीस हजार) एवं ₹1,00,000.00 (एक लाख) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक–11.03.2015 को आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या–12 पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारी) एवं शासी परिषद की दिनांक–10.10.2022 को आयोजित बैठक के कार्यावली बिंदु–6 में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड के क्रय पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारी) के लिए ₹1,00,000.00 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ₹85000.00 की अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति का निर्णय है। यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन कार्यालय के पत्रांक क्रमशः–293 दिनांक–10.04.2015 एवं 2587 दिनांक–28.10.2022 द्वारा परिचारित है।

इन पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन क्रम में सूचनाओं के आदान–प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण, e-Office के माध्यम से कार्य करने हेतु High Speed इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवत्ता के Storage सुविधा युक्त लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज की आवश्यकता एवं उसके बाजार मूल्य के दृष्टिगत भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उक्त वर्णित प्रयोजन के लिए पूर्व की निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि क्रमशः ₹1,00,000.00 एवं ₹85,000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,25,000.00 (एक लाख पचीस हजार) एवं ₹1,00,000.00 (एक लाख) किए जाने का प्रस्ताव है। शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि क्रमशः ₹1,00,000.00 एवं ₹85,000.00 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,25,000.00 (एक लाख पचीस हजार) एवं ₹1,00,000.00 (एक लाख) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–07

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय की सुविधा हेतु निर्धारित उम्र सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकार 57 वर्ष किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक–12.12.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या–4 पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप के क्रय किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किए जाने के वर्ष में 01 अगस्त की तिथि को आयु 55 वर्ष निर्धारित की गयी थी। यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन कार्यालय के पत्रांक–1472, दिनांक–27.12.2013 द्वारा परिचारित है।

शासी परिषद की दिनांक–27.07.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या–24 पर लैपटॉप/टैबलेट के क्रय किए जाने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष को शिथिल करते हुए 57 वर्ष करने की स्वीकृति दी गयी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के समरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट/आई पैड एवं एसेसरीज के क्रय की सुविधा हेतु निर्धारित उम्र सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय की सुविधा हेतु निर्धारित उम्र सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 57 वर्ष किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–08

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नये पैनल का निर्माण किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–PR.No.-005379 (Ni.Ni.) 2021-22, दिनांक–26.08.2021 के आलोक में कुल 156 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु पैनल तैयार कर मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त करते हुये दिनांक–30.01.2023 को प्रकाशित किया गया। पैनल की वैधता अंतिम प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल का अन्तिम प्रकाशन दिनांक–30.01.2023 को किया गया है। जिसकी वैधता दिनांक–29.01.2026 को समाप्त होगी।

उक्त पैनल में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन के उपरान्त पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों की कोटिवार स्थिति निम्नवत है :–

क्रं सं	श्रेणी	कुल संख्या	पुरुष	महिला
1	गैरआरक्षित	11	10	01
2	अनुसूचितजाति	8	8	0 (शून्य)
3	अनुसूचितजनजाति	0 (शून्य)	0 (शून्य)	0 (शून्य)
4	पिछड़ावर्ग	41	40	01
5	अत्यन्तपिछड़ावर्ग	13	13	0 (शून्य)

6	आर्थिक रूपसेकमजोरवर्ग	1	0 (शून्य)	01
	कुल	74	71	03

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल में कई आरक्षण कोटि में अभ्यर्थियों की संख्या समाप्त हो चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 34 रिक्तियाँ है जिनका रोस्टर क्लीयरेंस हो गया है तथा नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। यह पाया गया है कि अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन की सूचना दिये जाने के बावजूद योगदान नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर कई आरक्षित श्रेणी में आई0 टी0 प्रबंधको का नियोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, वहीं वर्तमान पैनल भी जल्द समाप्त हो जायेगा। अतः एक नये पैनल की आवश्यकता तुरंत होगी।

बिहार प्रशसनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नये पैनल का निर्माण किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–09

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छुटे हुए अंश के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य के क्रम में पूरक प्राक्कलन पर किए गए व्यय का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छुटे हुए अंश के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य के क्रम में पूरक प्राक्कलन का कार्य कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा किया गया है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106 गैर वेतन मद से पूरक कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹42,03,900.00 (बयालीस लाख तीन हजार नौ सौ) कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छुटे हुये अंश के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य पर हुये व्यय के क्रम में पूरक प्राक्कलन पर किए गए व्यय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–10

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में स्थापित जिज्ञासा हेल्पलाईन (14403) के संचालन हेतु किए गए व्यय की घटनोत्तर अनुमोदन एवं अगले दो वर्षों तक संचालन किए जाने वाले व्यय की स्वीकृति।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा नागरिकों की मदद एवं उनकी समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन करने और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक–24 अगस्त 2010 को ''जिज्ञासा'' हेल्पलाइन की शुरूआत की गयी है।

वर्त्तमान में जिज्ञासा हेल्पलाईन में दो सुपरवाइजर, 10 हेल्पलाईन एक्जीक्यूटिव एवं आम नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभुकों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देने एवं फीडबैक प्राप्त करने के लिये पाँच अतिरिक्त हेल्पलाइन एक्जीक्यूटिव की सेवा प्राप्त की जा रही है।

जिज्ञासा कॉल सेन्टर के संचालन हेतु दिनांक–24.09.2020 से दिनांक–31.01.2024 तक की अवधि में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के गैर वेतन मद से कुल रुपये 77,92,305/– (सतहत्तर लाख बानबे हजार तीन सौ पाँच रुपये) का व्यय किया गया है।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा संचालित जिज्ञासा हेल्पलाइन के दो वर्षों तक संचालन हेतु Software के साथ बाहय स्रोत के माध्यम से 15 कॉल एक्जीक्यूटिव एवं 02 सुपरवाइजर की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर प्रदत एजेंसी M/s Dreamline Technology Pvt. Ltd., Patna का चयन किया गया है। जिज्ञासा हेल्पलाइन के अगले दो वर्षों के संचालन के लिए कुल व्यय ₹ 81,52,720.00 (एकासी लाख बावन हजार सात सौ बीस रूपये मात्र) आकलित है। उक्त आकलित राशि का व्यय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान विषय शीर्ष–3106 के गैर वेतन मद से किया जा रहा है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में स्थापित जिज्ञासा हेल्पलाईन के संचालन में किए गये ₹77,92,305/– (सतहत्तर लाख बानबे हजार तीन सौ पाँच रुपये) के व्यय की घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है एवं अगले दो वर्षों के संचालन के लिए आकलित व्यय ₹81,52,720.00 (एकासी लाख बावन हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) पर शासी परिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

<u>कार्यावली बिन्दुः–11</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई0 टी0 प्रबंधकों को 4G/5G support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹15,000.00 (पन्द्रह हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन।

31वीं शासी परिषद के बैठक दिनांक–10.10.2022 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या–13 पर प्राप्त अनुमोदन के आलोक में। आई0 टी0 प्रबंधकों को सी0यू0जी0 सीम की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम सूचनाओं के आदान–प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण एवं Mobile App के माध्यम से कार्य करने हेतु High Speed इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवत्ता के Storage सुविधा युक्त 4G/5G Support वाले मोबाईल सेट की आवश्यकता है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई0 टी0 प्रबंधकों को 4G/5G support **हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹15,000.00 (पन्द्रह हजार) किए जाने के बिंदु पर अनुमोदन प्रार्थित है।**

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दुः–12

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित संविदात्मक पदों यथा–आई. टी. प्रबंधक, आई. टी. सहायक एवं कार्यपालक सहायक के लिए बैंक के माध्यम से समूह स्वास्थ्य बीमा (Group Health Insurance) योजना को लागू करने के स्वीकृति के संबंध में :–

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित संविदात्मक पदों यथा– आई. टी. प्रबंधक, आई. टी. सहायक एवं कार्यपालक सहायकों जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यरत है, को स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किये जाने हेतु कतिपय प्रयास किये गये हैं।

उक्त क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से बैठक कर जानकारी प्राप्त की गयी। यह परिलक्षित हुआ कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत अधिकतम 21,000.00 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। (प्रति संलग्न)। वर्त्तमान में कार्यपालक सहायक (ग्रेड–1) का इंट्री लेवल का मानदेय 25,000.00 रूपये प्रतिमाह है तथा अन्य सभी कर्मियों का मानदेय इससे उच्चतर है। स्पष्ट है कि सोसाइटी के संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित किया जाना संभव नहीं है।

तदोपरांत राज्य सरकार के तत्वाधान में स्थापित विभिन्न सोसाइटी/संगठन आदि के द्वारा अपने संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा से संबंधित दिये जाने वाले सुविधा/लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। यह पाया गया कि जीविका एवं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बैंक के माध्यम से समूह स्वास्थ्य बीमा (Group Health Insurance) की सुविधा दी जा रही है। इस व्यवस्था अंतर्गत बैंको द्वारा प्रिमियम की राशि हेतु बीमा कम्पनियों के साथ अपने स्तर से दर निर्धारण कराते हुए उसके अतिरिक्त subvention, यदि कोई हो, का लाभ सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण प्रिमियम की राशि कम हो जाती है।

जीविका द्वारा अपने कर्मियों को दो वर्ग यथा– Gr-II (जिसमें मुख्यालय के सभी संविदा कर्मी तथा जिला स्तर के कुछ कर्मी सम्मिलित है) एवं Gr-III (जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के संविदा कर्मी सम्मिलित है) में चिन्हित कर बैंक के माध्यम से समूह स्वास्थ्य बीमा (Group Health Insurance) योजना का लाभ दिया जा रहा है। जीविका में लागू योजना के तहत कर्मी, कर्मी का परिवार (पत्नी/पति एवं दो बच्चे) तथा कर्मी के माता–पिता को इस योजना के तहत आच्छादित किया गया है। वर्त्तमान में Gr-II के कर्मियों को 4.5 लाख रूपये तक तथा Gr-III के कर्मियों को 3.00 लाख रूपये तक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिया जा रहा है जिसके लिए जीविका के द्वारा संबंधित बैंक को क्रमशः 12,276.00 रूपये प्रति कर्मी प्रतिवर्ष तथा 9,468.00 रूपये प्रति कर्मी प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जा रहा है। जीविका के द्वारा प्रत्येक वर्ष दर निर्धारण हेतु कार्रवाई की जाती है।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना द्वारा भी बैंक के माध्यम से समूह स्वास्थ्य बीमा (Group Health Insurance) योजना का लाभ समिति अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को दिया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस योजना के लाभ हेतु सभी कर्मियों को एक ही वर्ग में रखा है जिसके तहत सभी कर्मियों को 5.00 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्वास्थ्य

समिति द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अंतर्गत दी जा रही सुविधा मात्र कर्मी को ही उपलब्ध है ना कि उसके परिवार को। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के मामले में संबंधित बैंक के साथ इस दर पर पॉच वर्ष के लिए एकरारनामा किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिस बैंक के साथ अनुबंध किया है संबंधित बैंक द्वारा यह सुविधा भी दी गयी है कि कर्मी यदि चाहे तो वह 2499-00 रूपये अथवा 1999-00 रूपये प्रति वर्ष का TopUp राशि का भुगतान कर स्वयं, पत्नी एवं दो बच्चों के लिए क्रमशः 30-00 लाख रूपये तक तथा 15-00 लाख का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा शर्तों के साथ प्राप्त कर सकता है। अन्य बैंको के द्वारा भी TopUp की अलग–अलग व्यवस्थायें हैं।

उपरोक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित संविदात्मक पदों यथा – आई. टी. प्रबंधक, आई. टी. सहायक एवं कार्यपालक सहायकों जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यरत है, को समूह स्वास्थ्य बीमा (Group Health Insurance) योजना से आच्छादित किये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रार्थित है। साथ ही मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को अनुमोदन प्राप्ति के उपरांत विभिन्न बैंको से वार्ता कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को बैंक के माध्यम से 5 लाख तथा 10 लाख तक के समूह स्वास्थ्य बीमा के सुविधा हेतु इच्छुक बैंको से निम्नलिखित बिन्दुओं पर दर प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी :–

1. मात्र कर्मचारी को आच्छादन
2. कर्मचारी एवं उसके परिवार (पत्नी/पति एवं दो बच्चे)
3. कर्मचारी, उसका परिवार (पत्नी/पति एवं दो बच्चे) तथा कर्मचारी पर आश्रित उनके माता एवं पिता

निर्णयः–	स्वीकृत।

ह0/– सचिव विधि विभाग/प्रतिनिधि	**ह0/– सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग–सह–प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रतिनिधि**	**ह0/– सचिव विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग–सह–अपर मिशन निदेशक, बि0 प्र0 सु0 मि0 सो0**
ह0/– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रतिनिधि	**ह0/– प्रधान सचिव, वित्त विभाग**	**ह0/– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग –सह–मिशन निदेशक**
ह0/– महानिदेशक, बिपार्ड/प्रतिनिधि	**ह0/– विकास आयुक्त, बिहार**	**ह0/– मुख्य सचिव, बिहार**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक-BPSM/विविध-10/2019 (खंड) सो0- ...2030..., **दिनांक-** ...18/11/2024...

प्रतिलिपिः- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/ प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/ सचिव, विधि विभाग को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/24

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक-BPSM/विविध-10/2019 (खंड) सो0- ...2030..., **दिनांक-** ...18/11/2024...

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार -सह- अध्यक्ष शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/24

अपर मिशन निदेशक